सामान्य पूल से आवास आवंटन के योग्य नहीं है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मंत्रियों के कोटे से संबंधित सरकार वास तदर्थ आधार पर प्रथम उपलब्ध रिक्ति आधार पर आवंटित किया जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ऐसे आवंटितियों को 2 महीने की अनुज्ञेय क्वार्टर रखने की अवधि के पश्चात वास को खाली करना होता है ।

Fire in Nirmal Towers in Delhi

1558. SHRI MAHENDRA PRASAD : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a fire accident occurred in the Nirmal Towers, a high-rise building in Connaught Place area, in the night of Tuesday, April 7th-8th 1992;

(b) whether this was the third big fire in the high-rise building complexes in the Central part of New Delhi, starting with Akashdeep followed by Himalaya House fire in the area;

(c) whether there was any element common to all those fires; if so, the details in this regard; and

(d) what steps have been taken/being taken to prevent recurrence of such fires ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) Yes, Sir.

(b) There have been five major outbreaks of fire in the high-rise building complexes in the central part of New Delhi.

(c) No, Sir.

(d) According to the Chief Fire Officer, Delhi Fire Service, owners/occupiers of unsafe high-rise buildings built prior to the Delhi Fire Prevention & Fire Safety Act, 1986, coming into force, have been directed to provide for the necessary fire safety requirements. A large number of such unsafe high-rise complexes have complied with the directions, and have now been declared as safe. Action for ensuring compliance for the remaining buildings, is being taken by the Delhi Fire Service under the Act. High-rise building built or proposed to be built after 1986, are not cleared from fire safety angle unless the requisite steps for fire prevention are taken.

निजी क्षेत्र द्वारा दिल्ली में मकानों का निर्माण

1559. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में मकान बनाने का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है और इस स्तर पर ब्यौरों का अध्ययन करना असामयिक होगा ।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां

1560. **श्री कपिल वर्मा :**

श्रीमती वीणा वर्मा :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बहुत सी अनधिकृत कालोनियां हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों तथा झुग्गी झोपड़ी बस्तियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्यों सरकार अनधिकृत निर्माण पर नियन्त्रण करने और उस पर कड़ी निगरानी रखने के लिए "विशेष दस्ता" बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) विगत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अनधिकृत बहुमंजिली इमारतें गिराए जाने के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है, जून, 1977 तक नियमित की गई कालोनियों को मिलाकर अगस्त, 1990 में 1207 अनधिकृत कालोनियां होने का अनुमान लगाया गया है। इस समय झुग्गी-झोंपड़ी समूहों की कुल संख्या का अनुमान 929 है।

(ग) शहरी विकास मंत्रालय के सचिव के अधीन एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने दिल्ली में अनधिकृत निर्माण के विभिन्न पहलूओं की जांच की है और निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(i) एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना एवं दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और नई दिल्ली नगर पालिका के प्रत्येक जोन में एक जोनल अधिकारी की नियुक्ति ।

(ii) अनधिकृत निर्माणों का भय दिखा कर निवारण करने की व्यवस्था के लिए लागू विधान में संशोधन करना ।

(iii) मशीनरी का प्रयोग करने तथा अतिरिक्त पुलिस संरक्षण प्रदान कर दिल्ली विकास प्राधिकरण और स्थानीय निकायों के गिराऊ दस्ते को सुदृढ़ करना ।

(iv) दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को नियमित रूप से रोकने की कार्रवाई।

उपर्युक्त के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा स्थानीय निकायों ने शिकायतें प्राप्त करने के लिए नियंत्रण कक्षों की स्थापना की है और अनधिकृत निर्माणों के लिए अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भूमि की इन अभिकरणों द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

(घ) जैसा कि दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है, पिछले दो वर्षों के दौरान सराय रोहिला में 9992 नं० की एक बहुमंजिली इमारत को गिराया गया है ।

Unauhorised construction in Ashok Vihar, Delhi

1561. SHRI ASHOK NATH VERMA : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer of unstarred question 1532 given in the Rajya Sabha on 6th March, 1992 and state :

(a) whether the replies to the show cause notices issued to the defaulters have since been received ;

(b) if so, what are the details thereof and the action taken by Government ; and

(c) if the answer to part (a) above be in negative, what action Government propose to take to redress the grievances of the complainants in this behalf ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) to (c) DDA has reported that reply to Show Cause Notices in respect of flat No. 31B & 19B, Ashok Vihar Phase-III have been